फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या 45 / 2021

धीसा पिता बालू सुथार बनाम राज कुमार पिता मनोहर जैन वगै.
निवासी काटूंदा तह0 बेंगू काटूंदा तह0 बेंगू

उपस्थित ::– विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी
चन्द्रप्रकाश शर्मा विपक्षीगण

आदेश प्रा.पत्र अ.धा. 212 आर टी. एक्ट.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
26.02.2026	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अ.धा.212 आर.टी.एक्ट. पर उभय पक्ष कि बहस सूनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा काटूंदा प.ह. काटूंदा के खाता संख्या नया 193 पुराने 181 आराजी संख्या 387, 412, 414, 415, 416, 417, 1363, 1354, कुल किता –8 कुल रकबा 03.9900 है0 भूमि मे प्रार्थी के स्वामित्व–अधिपत्य की है। आराजी संख्या 1353, रकबा 0.23 आराजी संख्या 1354मी. रकबा 0.15 है.भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त दोनो ही आराजीयात विवादित होने से प्रार्थनापत्र मे सुविधा की दृष्टि से विवादित आराजीयात से संबोधित की जायेगी। विवादित आराजीयात के संबंध मे विपक्षी जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी को जयदाद से बे दखल करने पर आमादा है। विपक्षी राजकुमार दिनांक 02.06.2021 को अपने साथ 8–10 लोगों को प्रार्थी की विवादित आराजीयात पर लेकर आया और प्रार्थी की आराजीयात मे अनाधिकृत रूप से जबरन प्रवेश कर खण्डो की दीवार को गिराकर प्रार्थी की कृषि आराजीयात मे करीब एक लाख रूपये की राशि रिष्टि नुकसान कर दिया अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र वर्णितानुसार स्वीकार फरमाया जाकर कि प्रार्थी विरूद्ध विपक्षी अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान करावें कि प्रार्थी की विवादित आराजीयात पर विपक्षी किसी प्रकार से कोई मदाखलत दखलंन्दाजी पैदा नही करें और किसी प्रकार से हस्तक्षेप नही करें न ही रहन बक्षीस दीगर तरीके से मुस्तकील नही करें न किसी अन्य से करावें मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है की मौके पर प्रार्थनापत्र मे वर्णित भूमि वर्तमान मे अस्तित्व में नही है बेंगू–चित्तौडगढ फोरलेन सडक मे इस भूमि का अधिकांश हिस्सा सडक में निहित हो चूका है। मौके पर प्रार्थी की कुए के अतिरिक्त कोई भूमि नही है। प्रार्थी का कोई कब्जा आ. चाह की भूमि पर नही है। प्रार्थी ने विपक्षी की पत्नि कमलाबाई की आबादी में परिवर्तित भूमि का खसरा संख्या एवं क्षैत्रफल के तथ्य को छिपाकर आधारहिन तथ्य लिखें है। प्रार्थी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नही आया है। इस लिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)	

प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सूना गया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमांबदी सम्वत 2072–20275 मौजा काटूंदा प.ह. काटूंदा के खाता संख्या नया 193 पुराने 181 आराजी संख्या 387, 412, 414, 415, 416, 417, 1363, 1354, कुल किता –8 कुल रकबा 03.9900 है0 भूमि का अवलोकन करने पर उक्त भूमि प्रार्थी धीसा पिता बालू सुथार के नाम दर्ज अंकित है। किन्तु प्रकरण मे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे ये स्पष्ट होता हो की विपक्षी द्वारा प्रार्थी की आराजीयात मे अनाधिकृत रूप से जबरन प्रवेश कर खण्डो की दीवार को गिराकर प्रार्थी की कृषि आराजीयात मे करीब एक लाख रूपये की राशि का नुकसान कर दिया हो। यदि विपक्षी ने दीवार गिराई भी थी तो सम्बन्धित थाना अधिकारी को प्रथम सूचना दी जानी चाहिए थी वो भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। चूँकि प्रार्थी खातेदार है, तथा अपनी कृषि आराजीयात की सुरक्षा का जिम्मा उसके लिए अति महत्वपूर्ण है इसलिए न्यायालय की विन्रम राय से दोनो ही पक्ष प्रार्थी एवं विपक्षी मौके पर मौजा काटूंदा प.ह. काटूंदा के खाता संख्या नया 193 पुराने 181 आराजी संख्या 1353, रकबा 0.23 आराजी संख्या 1354मी. रकबा 0.15 है. के मध्य विवाद ना हो इस लिए प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक भूमि व रिकार्ड कि यथास्थिति कायम रखने तथा किसी भी प्रकार से विवाद उत्पन्न न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.02.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अंकित सामरिया)
उपखण्डअधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़